Launching of Cartosat-I & II

1387. SHRI BHAGABAN MAJHI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have a proposal to launch CARTOSAT-I and CARTOSAT-II satellites; and

(b) if so, by when and the steps taken by the Indian Space Research Organisation in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI VASUNDHARA RAJE): (a) and (b) Yes, Sir. The development of CARTOSAT-I is already ongoing. The satellite will provide 2.5m Panchromatic Stereo data which would be highly useful for large scale thematic mapping and cartographic mapping. The development of this satellite is progressing satisfactorily and the satellite is scheduled to be launched in 2000.

As a continuation of CARTOSAT-I, the design studies for a next generation improved satellite (CARTOSAT-II) have been taken up. The focus of the use of data from this satellite will be mainly for cadastral applications and enchanced large scale mapping applications.

Report of World Commission on DAMS

1388. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:
SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI AKHILESH DAS:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the World Commission on Dams visited Madhya Pradesh and Gujarat with particular reference to Narmada Dam Project;

(b) if so, whether the World Commission has sent its report and recommendation to Government;

(c) if so, the details thereof; and

(d) Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) No, Sir.

(b) to (d) Do not arise.

हरियाणा और पंजाब के बीच जल-विवाद के मामले

1389. **श्री बरजिन्दर सिंह:**
श्री कपिल सिब्बल:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पंजाब और हरियाणा के बीच जल-विवाद संबंधी अनेक मामले लंबित हैं, यदि हां, तो इन मामलों के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन मामलों को निपटाने के लिए अब तक कोई उपाय किए हैं;

(ग) यदि हां, तो कब तक तथा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) कितने मामलों में कोई अंतिम निर्णय लिया गया है तथा कौन-कौन से मामले अभी भी विवाद-ग्रस्त हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) रावी और व्यास जल विवाद से संबंधित एक मामला रावी और व्यास अधिकरण के विचाराधीन है।

(ख) से (घ) पंजाब के पुनर्गठन के बाद पंजाब हरियाणा के बीच रावी और व्यास के अधिशेष जल के बंटवारे के संबंध में निर्धारित दो वर्षों की अवधि के अंदर कोई समझौता नहीं हो सका इसलिए भारत सरकार ने अपनी 24 मार्च, 1976 की एक अधिसूचना के माध्यम से रावी-व्यास के अधिशेष जल में पंजाब और हरियाणा का हिस्सा आबंटित करने के साथ-साथ दिल्ली, राजस्थान और जम्मू और कश्मीर के हिस्से भी आबंटित किए। तथापि, पंजाब ने सर्वोच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर कर इस अधिसूचना की वैधता को चुनौती दी। इसके बाद इस मामले के समाधान के लिए प्रयास किए गए थे और इस प्रकार भारत के माननीय प्रधान मंत्री की उपस्थिति में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्रियों द्वारा दिनांक 31.12.1981 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गया। पंजाब और हरियाणा के बीच जल के बंटवारे संबंधी मामले को पुनः उठाया गया जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 24.7.1985 को पंजाब समझौते (राजीव-लोंगोवाल समझौता) पर हस्ताक्षर किये गये। इस समझौते के परिणाम स्वरूप अन्य बातों के